आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 362/इंदौर/2023
निर्धारण वर्ष : 2016-17

मे. बंसल पाथवेज (दमोह कटनी) प्रा.लि., 3री मंजिल, तवा कॉम्प्लेक्स, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)	बनाम	आयकर उपायुक्त-1(1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएफसीबी5633ए PAN : AAFCB5633A		

अपीलार्थी की ओर से	श्री अनिल खाब्या, सीए
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	18.01.2024
उद्घोषणा तिथि	18.01.2024

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी, दिल्ली के आदेश दिनांक 07.09.2023 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि सहायक आयकर आयुक्त-1(1), भोपाल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 08.12.2018 से उद्भूत है ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती द्वारा विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश दिनांक 08.12.2018 के विरूद्ध प्रथम-अपील दाखिल की थी । यद्यपि, विद्वान आयकर आयुक्त अपील द्वारा निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए पारित आदेश दिनांक 07.09.2023 में निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए स्वयं के आदेश दिनांक

07.09.2023 को कॉपी-पेस्ट किया गया है तथा निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारिती द्वारा लिए गए आधारों पर न्यायनिर्णयन नही किया गया है । अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारिती की अपील को निर्धारिती द्वारा लिए गए आधारों को गुणागुण पर निर्णयित करने हेतु विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में वापिस भेजने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता के इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है ।

3. अभिलेखों के अवलोकन पर हमने पाया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम-अपील आदेश में अनावधता से निर्धारण वर्ष 2020-21 के आदेश को दोहराया है तथा निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारिती द्वारा लिए गए आधारों पर विचार नहीं किया है । अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं न्यायपूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले को निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उचित न्यायनिर्णयन हेतु विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में वापिस भेजना उचित समझते हैं । हम, तद्नुसार आदेश करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है।

यह आदेश 18.01.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(विजय पाल राव)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 18.01.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल